न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 165/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/230)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. करणी सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 2. सहजदीप सिंह पुत्र करणी सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।		1. चरणजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 2. परमजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 3. बक्शीश सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 4. बलकरण सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 5. बलदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 6. मखन सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 7. राजवीर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 8. लखविन्द्र कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 9. शिवनन्दन सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 10. हरफूल सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 11. हरबंश कौर पुत्री अर्जन सिंह केयर ऑफ हरफूल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 12. गुरतेज कौर पत्नी बेअन्त सिंह केयर ऑफ हरफूल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 13. करनैल सिंह पुत्र सुखजीत सिंह केयर ऑफ राजवीर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 14. गुरदयाल सिंह पुत्र अर्जन सिंह केयर ऑफ शिवनन्दन सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 15. चुन्नी पुत्री गुरदयाल सिंह केयर ऑफ शिवनन्दन सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 16. जगदीश सिंह पुत्र अर्जन सिंह केयर ऑफ हरफूल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 17. नसीब कौर पुत्री अर्जन सिंह केयर ऑफ हरफूल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 18. दलजीत सिंह पुत्र बक्शीश सिंह केयर ऑफ बक्शीश सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 19. विश्वदीप सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 20. किरणजीत कौर पुत्री बेअन्त सिंह केयर ऑफ हरफूल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 21. सुखजीत सिंह पुत्री बेअन्त सिंह केयर ऑफ हरफूल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। 22. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 05.06.2025

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपस्थित:1. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय—

दिनांक :03.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू गुरूसर, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 41, 63, 66, 74/22, 74/35 की कुल 18.572 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने आपसी काश्त सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादी का कब्जा काश्त चक 20 एच के मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 16 की 0.177 हैक्टेयर, 0.021 हैक्टेयर खाला, किला नम्बर 17, 18, 19 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.202 हैक्टेयर, 0.026 हैक्टेयर खाला, किला नम्बर 22 की 0.228 हैक्टेयर, 0.025 हैक्टेयर खाला, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, 0.025 हैक्टेयर खाला, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, 0. 025 हैक्टेयर खाला, किला नम्बर 25 की 0.202 हैक्टेयर, 0.051 हैक्टेयर खाला कुल 2.425 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि पर है। घरू वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 2 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू गुरूसर, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 41, 63, 66, 74/22, 74/35 की कुल 18.572 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम दर्ज भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू गुरूसर, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 41, 63, 66, 74/22, 74/35 की कुल 18.572 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण करणी सिंह, सहजदीप सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू गुरूसर, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 41, 63, 66, 74/22, 74/35 की कुल 18.572 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	करणी सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। (1.426 हैक्टेयर)	20 एच	63	16	0.200 हैक्टेयर	नहरी	1.78
				17,18,19	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				21	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
	सहजदीप सिंह पुत्र करणी सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर। (0.999 हैक्टेयर)			22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				25	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
			74/35		0.150 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)